Annexure-II

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 522] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 21, 2015/श्रावण 30, 1937
No. 522] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 21, 2015/SRAVANA 30, 1937

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2015

सा.का.नि. 649(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का 20) की धारा 12 की उप-धारा (2) के खंड (ज) के साथ पठित धारा 39 की उप-धारा (2) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राज्य सरकारों के साथ परामर्श करने के पश्चात् निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सहायिकी का नकद अंतरण नियम, 2015 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं.**–(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "आधार संख्या" से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी विशिष्ट संख्या अभिप्रेत है ;

(ख) "अधिनियम" से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का 20) अभिप्रेत है ;

(ग) "हकदार गृहस्थी का बैंक खाता" से गृहस्थी के प्रमुख द्वारा हकदार गृहस्थी में से किसी सदस्य का, कोर बैंककारी प्रणाली का अनुसरण करते हुए किसी बैंक में खाद्य सहायिकी के नकद अंतरण को प्राप्त करने के लिए डिजिटल हिताधिकारी डाटाबेस में उपदर्शित बैंक खाता अभिप्रेत है ;

(घ) "बैंक खाता ब्यौरे" से उस बैंक के भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड सहित हकदार गृहस्थी के बैंक खाते की संख्या अभिप्रेत है ;

(ड) "हिताधिकारी डाटाबेस" से सदस्यों के ब्यौरे सहित सभी हकदार गृहस्थियों की सूची अभिप्रेत है ;

(च) "केंद्रीय निर्गम मूल्य" से अधिनियम की अनुसूची 1 में पात्र गृहस्थियों के लिए विनिर्दिष्ट खाद्यान्नों का मूल्य और अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन 'टाइड ओवर' आबंटन हेतु केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित खाद्यान्नों का मूल्य अभिप्रेत है ;

(छ) "हकदार गृहस्थी" से अधिनियम में विनिर्दिष्ट पात्र गृहस्थी और 'टाइड ओवर' आबंटन में से राज्य सरकार से सहायता प्राप्त खाद्यान प्राप्त करने वाले गृहस्थी, जिनके पास विधिमान्य राशन कार्ड है, अभिप्रेत है ;

(ज) "खाद्यान्नों की अधिकृत मात्रा" से अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन पात्र गृहस्थियों को वितरित की जाने वाली खाद्यान्नों की मात्रा या राज्य सरकार द्वारा अन्य हकदार गृहस्थियों, यदि कोई हो, को 'टाइड ओवर' आबंटन में से वितरित खाद्यान्नों की मात्रा अभिप्रेत है ;

(झ) "परिलक्षित क्षेत्र" मे किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के भीतर कोई विनिर्दिष्ट क्षेत्र, जिसके लिए राज्य सरकार की स्कीम के कार्यान्वयन हेतु कोई लिखित सहमति है, अभिप्रेत है ;

(ञ) "सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली" से महालेखा-नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निधि प्रबंधन, ई-संदाय और प्रबंधन सूचना प्रणाली हेतु स्थापित वेब आधारित ऑन लाइन संव्यवहार प्रसंस्करण प्रणाली अभिप्रेत है ;

(ट) "स्कीम" से सीधे हकदार गृहस्थियों के बैंक खातों में, खुले बाजार से खाद्यान्नों की अधिकृत मात्रा का क्रय करने हेतु समर्थ बनाने के लिए, खाद्य सहायिकी नकद में प्रदान करने की प्रणाली अभिप्रेत है ;

(ठ) "राज्य अभिकरण" से राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय सरकार से किसी पृथक् बैंक खाते में नकद सहायिकी प्राप्त करने और हकदार गृहस्थियों के बैंक खातों में उनके खाद्यान्नों की अधिकृत मात्रा पर आधारित देय सहायिकी जमा करने के लिए अभिहित विभाग या निगम या कार्यालय अभिप्रेत है ;

(ड) "टाइड ओवर आबंटन" से अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक के अधीन राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों को आबंटित खाद्यान्न, यदि कोई हों, अभिप्रेत है ।

(2) शब्द और पद, जो इन नियमों में प्रयुक्त है, किन्तु इन नियमों में परिभाषित नहीं है, परंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, के वही अर्थ होंगे, जो उनके अधिनियम में हैं ।

3. (1) राज्य सरकार इस स्कीम का कार्यान्वयन केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से कर सकेगी ।

(2) स्कीम, परिलक्षित क्षेत्रों में कार्यान्वित की जाएगी :

परंतु शेष क्षेत्रों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्नों के वितरण की प्रचलित प्रणाली जारी रहेगी ।

4. स्कीम को कार्यान्वित करने की शर्तें.—राज्य सरकार स्कीम का कार्यान्वयन किसी परिलक्षित क्षेत्र में निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन करेगी, अर्थात् :—

(क) हिताधिकारी डाटाबेस का पूर्ण डिजिटलीकरण और डी-डुप्लीकेशन ;

(ख) डिजिटल हिताधिकारी डाटाबेस में बैंक खाता ब्यौरे और आधार संख्या, यदि उपलब्ध हो, की सीडिंग ;

(ग) खुले बाजार में खाद्यान्नों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना ; और

(घ) हकदार गृहस्थियों के लिए केंद्रीय सरकार से नकद सहायिकी प्राप्त करने हेतु और सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से हकदार गृहस्थियों के बैंक खातों में सहायिकी की देय राशि का अंतरण करने के लिए पृथक् बैंक खाते वाले किसी राज्य अभिकरण की पहचान करना ;

5. खाद्य सहायिकी की संगणना.—हकदार गृहस्थी को संदेय खाद्य सहायिकी की राशि की संगणना, खाद्यान्नों की अधिकृत मात्रा को लागू न्यूनतम समर्थन मूल्य (चावल की दशा में व्युत्पन्न न्यूनतम समर्थन मूल्य) के 1.25 गुणा और केंद्रीय निर्गम मूल्य के अंतर के साथ गुणा करके की जाएगी या जैसा केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित किया जाए ।

6. खाद्य सहायिकी के नकद अंतरण की रूपात्मकताएं.–(1) राज्य सरकार सहायता प्राप्त खाद्यान्नों को प्राप्त करने के लिए अधिनियम के अधीन अवधारित राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के लिए पूर्ण समावेश के दृष्टिगत परिलक्षित क्षेत्र का डिजिटल हिताधिकारी डाटाबेस तैयार करेगी, जिसमें बैंक खाता ब्यौरे और आधार संख्या, यदि उपलब्ध हो, सम्मिलित होंगे ।

(2) राज्य सरकार द्वारा परिलक्षित क्षेत्र हेतु डिजिटल हिताधिकारी डाटाबेस, बैंक खाता ब्यौरे और आधार संख्या, यदि उपलब्ध हो, की सीडिंग के साथ सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के पोर्टल पर आधार संख्या और बैंक खाते ब्यौरे की संवीक्षा, सत्यापन और विधिमान्यकरण के लिए साझा किया जाएगा ।

(3) सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली द्वारा की गई संवीक्षा के निष्कर्ष राज्य सरकार के साथ साझा किए जाएंगे ।

(4) राज्य सरकार सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के निष्कर्षों में उठाए गए विवाद्यकों को सुलझाएगी और परिलक्षित क्षेत्रों हेतु अंतिम डिजिटल हिताधिकारी डाटाबेस, बैंक खाता ब्यौरे और आधार संख्या, यदि उपलब्ध हो, की सीडिंग के साथ सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के पोर्टल पर उपलब्ध कराएगी ।

(5) राज्य सरकार अंतिम डिजिटल हिताधिकारी डाटाबेस, खाद्यान्नों की अधिकृत मात्रा और नियम 5 के अधीन नकद खाद्यान्न सहायिकी की संगणना के आधार पर, इन नियमों से संलग्न प्रोफार्मा में केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य अधिकरण के बैंक खाते में देय नकद सहायिकी के अंतरण हेतु संक्षिप्त प्रस्ताव भी तैयार करेगी और सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के पोर्टल पर रखेगी।

(6) केंद्रीय सरकार, मासिक आधार पर राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की अंतिम डिजिटल हिताधिकारी डाटाबेस के लिए नियम 5 के उपबंधों के अनुसार संगणित कुल नकद सहायिकी राज्य अभिकरण के बैंक खाते में अंतरित करेगी।

(7) यदि राज्य सरकार अधिनियम के अधीन केंद्रीय निर्गम मूल्य से परे खाद्यान्नों पर सभी हकदार गृहस्थियों या उनके किसी भाग को और सहायता दे रही है तो राज्य सरकार डिजिटल हिताधिकारी डाटाबेस में ऐसी हकदार गृहस्थियां जो राज्य सरकार से अतिरिक्त सहायिकी प्राप्त करने की पात्र हैं और प्रत्येक ऐसे हकदार गृहस्थियों के लिए नकद में राज्य सहायिकी की रकम को स्पष्टत: चिन्हित करेगी और राज्य अभिकरण के बैंक खाते में राज्य सहायिकी की कुल रकम जमा करेगी।

(8) राज्य अभिकरण अधिकृत नकद सहायिकी की समेकित राशि, जो नियम 5 के उपबंधों के अनुसार केंद्रीय सहायिकी और उपनियम (7), यदि लागू हो, के उपबंधों के अनुसार राज्य सहायिकी से मिलकर बनेगी, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से महालेखा-नियंत्रक वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए मासिक आधार पर डिजिटल हिताधिकारी डाटाबेस में हकदार गृहस्थियों के वैयक्तिक बैंकखातों में जमा करेगा।

(9) उप-नियमों (1) से (8) में विनिर्दिष्ट सभी क्रियाकलाप ऑनलाइन किए जाएंगे।

(10) केंद्रीय सरकार से राज्य अभिकरण और राज्य अभिकरण से हकदार गृहस्थियों को नकद सहायिकी के मासिक अंतरण हेतु डिजिटल हिताधिकारी डाटाबेस उस विशिष्ट मास के लिए रोक लगी हुई समझी जाएगी ।

(11) राज्य सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए कि नकद अंतरण केवल हकदार गृहस्थियों के बैंक खातों में किया जा रहा है, डिजिटल हिताधिकारी डाटाबेस का नियमित ऑनलाइन अद्यतन करेगी।

(12) राज्य सरकार उप-नियम (5) के अधीन पश्चातवर्ती महीनों के लिए संक्षिप्त प्रस्ताव भेजने से पूर्व, राशन कार्डों से हटाई गई या रद्द की गई प्रविष्टियों को ध्यान में लेगी ।

(13) राज्य सरकार स्कीम के अधीन नकद अंतरण के माध्यम से अधिनियम में विनिर्दिष्ट लक्षित हिताधिकारियों की खाद्यान्न हकदारी सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी ।

7. समय-सीमा.—(1) राज्य सरकार नियम 6 के उप-नियम (4) के उपबंधों के अनुसार सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के पोर्टल पर अंतिम डिजिटल हिताधिकारी डाटाबेस पूर्ववर्ती मास की दस तारीख तक साझा करेगी ।

(2) राज्य सरकार नियम 6 के उप-नियम (5) के उपबंधों के अनुसार केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य अभिकरण के बैंक खाते में नकद सहायिकी के मासिक अंतरण हेतु पूर्ववर्ती मास की दस तारीख तक एक संक्षिप्त प्रस्ताव रखेगी ।

(3) केंद्रीय सरकार नियम 6 के उप-नियम (6) के उपबंधों के अनुसार राज्य सरकार के प्रस्ताव की सम्यक् संवीक्षा के पश्चात् राज्य अभिकरण के बैंक खाते में मासिक आधार पर कुल देय नकद सहायिकी पूर्ववर्ती मास की 15 तारीख तक जमा करेगी ।

(4) राज्य अभिकरण नियम 6 के उप-नियम (8) के उपबंधों के अनुसार हकदार गृहस्थियों के बैंक खातों में मासिक आधार पर नकद सहायिकी पूर्ववर्ती मास के अंतिम सप्ताह तक अंतरित करेगा ।

8. समवर्ती मूल्यांकन–(1) राज्य सरकार लक्षित हिताधिकारियों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में स्कीम की प्रभावशीलता का समवर्ती मूल्यांकन करवाएगी और स्कीम के कार्यान्वयन के छह मास के अंत में केंद्रीय सरकार को प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ।

(2) राज्य सरकार स्कीम के कार्यान्वयन के एक वर्ष के अंत में केंद्रीय सरकार को दूसरी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ।

9. उपयोगिता प्रमाणपत्र–राज्य सरकार सामान्य वित्तीय नियम, 2005 के अनुसार विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा पर उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगी ।

[सं. 3-7/2015-एनएफएसए]

नीलाम्बुज शरण, आर्थिक सलाहकार

प्रोफार्मा

(नियम 6(5) देखें)

(क) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम :

(ख) स्कीम के कार्यान्वयन हेतु राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के भीतर परिलक्षित क्षेत्र :

(ग) स्कीम के कार्यान्वयन हेतु परिलक्षित क्षेत्र (क्षेत्रों) के संबंध में ब्यौरे :

हक़दार गृहस्थियों का ब्यौरा	परिलक्षित क्षेत्र (क्षेत्रों) में कुल संख्या	खाद्यान्न आवश्यकता (टनों में)#			मासिक नकद अंतरण की अनुमानित राशि (करोड़ रुपयों में)	राज्य अभिकरण को नकद सहायिकी के पूर्व अंतरण में से अतिशेष, यदि कोई हो (करोड़ रुपयों में)
		गेहूँ	चावल	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
अंत्योदय अन्न योजना गृहस्थियाँ						
ऊपर वर्णित अंत्योदय अन्न योजना गृहस्थियों में व्यक्ति						
प्राथमिकता गृहस्थियों के व्यक्ति						
टाइड ओवर आबंटन*						

अंत्योदय अन्न योजना गृहस्थियों के लिए 35 कि.ग्रा. प्रति गृहस्थी प्रतिमास की दर से और प्राथमिकता गृहस्थियों के लिए 5 कि.ग्रा. प्रति व्यक्ति प्रतिमास की दर से ।

* कृपया इस आबंटन में से कवर किए जा रहे गृहस्थियों की संख्या और निर्गम का पैमाना स्तंभ (2) में दर्शाएं ।

टिप्पण : स्तंभ (2) में दर्शाए गए व्यक्तियों और गृहस्थियों की संख्या नियम 2 (ङ) के अधीन यथापरिभाषित डिजिटल और डिडुप्लीकेटिड हिताधिकारी डाटाबेस के अनुसार होनी चाहिए, जिसमें बैंक खाता ब्यौरे और आधार संख्या, यदि उपलब्ध हो, सीडिड होने चाहिए

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st August, 2015

G.S.R. 649(E).—In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (2) of Section 39 read with clause (h) of sub-section (2) of section 12 of the National Food Security Act, 2013 (20 of 2013), the Central Government, after consultation with the State Governments, hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Cash Transfer of Food Subsidy Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,–

(a) "Aadhaar number" means the identification number issued by the Unique Identification Authority of India;

(b) "Act" means the National Food Security Act, 2013 (20 of 2013);

(c) "Bank account of entitled household" means the bank account of any of the members of entitled household in any bank, following the Core Banking System, indicated by the head of the household in the digitised beneficiary database, for receiving cash transfer of food subsidy;

(d) "Bank account details" means number of the bank account of entitled household along with the Indian Financial System Code of that bank;

(e) "Beneficiary database" means list of all the entitled households, along with the details of the members;

(f) "Central Issue Price" means price of foodgrains specified for eligible households in Schedule I of the Act and price of food- grains determined by the Central Government from time to time for 'tide over' allocation under sub-section (1) of section 3 of the Act;

(g) "entitled households" means the eligible households referred to in the Act and households receiving subsidised foodgrains from the State Government out of 'tide over' allocation, who or which possess a valid ration card;

(h) "entitled quantity of foodgrains" means quantity of foodgrains to be distributed to eligible households under sub-section (1) of section 3 of the Act or quantity of foodgrains distributed by the State Government to other entitled households, if any, out of the 'tide over' allocation;

(i) "Identified areas" means a State or Union territory or any specified area within the State or Union territory for which there is a written consent of the State Government for implementation of the Scheme;

(j) "Public Financial Management System" means a web-based online transaction processing system established by the Controller General of Accounts, Ministry of Finance, Government of India for fund management, e-payment and Management Information System;

(k) "Scheme" means a system to provide food subsidy in cash directly into the bank accounts of entitled households to enable purchase of the entitled quantity of foodgrains from the open market;

(l) "State agency" means a Department or Corporation or Office designated by the State Government to receive the cash subsidy from the Central Government in a separate bank account and credit the due subsidy into the bank accounts of the entitled households, based on their entitled quantity of foodgrains;

(m) "tide over allocation" means foodgrains allocated to States or Union territories, if any, under the second proviso to sub-section (1) of section 3 of the Act.

(2) Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the same meanings as assigned to them in the Act.

3. (1) The State Government may implement the Scheme with the approval of the Central Government.

(2) The Scheme shall be implemented in the identified areas:

Provided that the prevailing system of distribution of foodgrains through Targeted Public Distribution System shall continue in the remaining areas.

4. Conditions for implementing the Scheme.—The State Government shall implement the Scheme in any identified areas subject to the following conditions, namely:—

(a) complete digitisation and de-duplication of beneficiary database;

(b) seeding of bank account details and Aadhaar number, if available, in the digitised beneficiary database;

(c) ensuring adequate availability of foodgrains in the open market; and

(d) identification of a State agency, having a separate bank account, to receive the cash subsidy from the Central Government for the entitled households and to transfer the due amount of subsidy into the bank accounts of entitled households through Public Financial Management System.

5. Computation of food subsidy. —The amount of food subsidy payable to a entitled household shall be computed by multiplying entitled quantity of foodgrains with difference between 1.25 times applicable Minimum Support Price (derived Minimum Support Price in the case of rice) and the Central Issue Prices, or as may be revised from time to time, by the Central Government.

6. Modalities of cash transfer of food subsidy.—(1) The State Government shall prepare the digitised beneficiary database of the identified area, seeded with bank account details and Aadhaar number, if available, keeping in view the total coverage for the State or Union territory determined under the Act for receiving subsidised foodgrains.

(2) The digitised beneficiary database for the identified area, seeded with bank account details and Aadhaar number, if available, shall be shared by the State Government on the portal of the Public Financial Management System for scrutiny, verification and validation of Aadhaar number and bank account details.

(3) The findings of the scrutiny done by the Public Financial Management System shall be shared with the State Government.

(4) The State Government shall address the issues raised in the findings of the Public Financial Management System and place the final digitised beneficiary database for the identified area, seeded with bank account details and Aadhaar number, if available, on the Public Financial Management System portal.

(5) On the basis of final digitised beneficiary database, the entitled quantity of foodgrains and formula for computation of cash food subsidy under rule 5, the State Government shall also prepare and place a summary proposal, on the Public Financial Management System portal, as per the proforma annexed to these Rules, for transfer of due cash subsidy by the Central Government into the bank account of the State Agency.

(6) The Central Government shall transfer, on monthly basis, the total cash subsidy for the final digitised beneficiary database of the State or Union territory, computed in accordance with the provisions of Rule 5, into the bank account of the State agency.

(7) In case, the State Government is further subsidising the foodgrains beyond the Central Issue Prices under the Act, for all the entitled households or a part thereof, the State Government shall clearly earmark in the digitised beneficiary database such of the entitled households which are eligible to receive additional subsidy from the State Government

and amount of State subsidy in cash for each of such entitled households and credit the total amount of State subsidy into the bank account of State Agency.

(8) The State agency shall credit the consolidated amount of entitled cash subsidy comprising of Central subsidy in accordance with the provisions of rule 5 and State subsidy as per the provisions of sub-rule (7), if applicable, into the individual bank accounts of entitled households in the digitised beneficiary database, on monthly basis, through the Public Financial Management System by following procedure specified by Controller General of Accounts, Ministry of Finance, Government of India, from time to time.

(9) All the activities specified in sub-rules (1) to (8) shall be made online.

(10) The digitised beneficiary database for monthly transfer of cash subsidy from the Central Government to the State agency and from the State agency to the entitled households shall be deemed to be frozen for that particular month.

(11) The State Government shall undertake regular online updation of digitised beneficiary database, to ensure that cash transfer is being made only in the bank accounts of entitled households.

(12) The State Government shall take into account deletions or cancellation of ration cards, before sending summary proposal under sub-rule (5) for subsequent months.

(13) The State Government shall endeavour to ensure foodgrains entitlement of targeted beneficiaries specified in the Act, through cash transfer under the Scheme.

7. Timelines.—(1) The State Government shall, in accordance with the provisions of sub-rule (4) of rule 6, share the final digitised beneficiary database on the Public Financial Management System portal by 10th day of the preceding month.

(2) State Government shall, in accordance with provisions of sub-rule (5) of rule 6, place a summary proposal by 10th day of the preceding month, for monthly transfer of cash subsidy by the Central Government into the bank account of State Agency.

(3) The Central Government shall, in accordance with provisions of sub-rule (6) of rule 6, after due scrutiny of the proposal of the State Government, credit the total due cash subsidy on monthly basis into the bank account of the State Agency by 15th day of the preceding month.

(4) The State Agency shall, in accordance with provisions of sub-rule (8) of rule 6, transfer the cash subsidy on monthly basis into the bank accounts of entitled households by last week of the previous month.

8. Concurrent Evaluation.—(1) State Government shall get the effectiveness of the Scheme, in ensuring food security of the targeted beneficiaries, evaluated concurrently and submit the first report to the Central Government at the end of six months of implementation of the Scheme.

(2) The State Government shall submit second report to the Central Government at the end of one year of implementation of the Scheme.

9. Utilisation Certificate.—The State Government shall submit utilisation certificate in a specified proforma to the Central Government, in accordance with provisions of the General Financial Rules, 2005.

[No. 3-7/2015-NFSA]

NILAMBUJ SHARAN, Economic Adviser

IndiaCode

PROFORMA

[See rule 6(5)]

(a) Name of the State/Union territory
(b) Area (s) within the State/ Union territory identified for implementation of the scheme :
(c) Details regarding the area (s) identified for implementation of the scheme :

Details of Entitled Households	**Total number in the identified area (s)**	**Foodgrain requirement #** (in tons)			**Estimated Amount of monthly cash transfer** (Rs. in Crore)	**Balance, if any, out of earlier transfer of cash subsidy to the State Agency** (Rs. in Crore)
		Wheat	**Rice**	**Total**		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Antyodaya Anna Yojana households						
Persons in the above mentioned Antyodaya Anna Yojana households						
Persons belonging to priority households						
Tide over allocation *						

At the rate of 35 kilogram per households per month for Antyodaya Anna Yojana households and at the rate of 5 kilogram per person per month for priority households.

* Please indicate the number of households being covered out of this allocation and the scale of issue in column (2).

Note: The number of persons and households indicated in column (2) should be as per the final digitised and de-duplicated beneficiary data-base, as defined under Rule 2 (e), seeded with bank account details and Aadhaar number, if available.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.